संख्या-3/2015/342/सैंतीस-2-2015-1(22)/07टीसी

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य पशु चिकित्साधिकारी,
(संलग्न विवरणानुसार)
पशुपालन विभाग, उ0प्र0।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक 26 फरवरी, 2015

विषय: गायों/भैंसो में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जि0यो0) (सामान्य) के अन्तर्गत अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 के पत्र सं0-59/पशुधन-2/22/1/4/2014-15, दि0- 12.02.2015 के सन्दर्भ में तथा शासनादेश सं0-2055/सैंतीस-2-2014-1(22)/07टीसी, दिनांक 28.07.2014 एवं सं0-2536/सैंतीस-2-2014-1(22)/07टीसी, दि0-08.09.2014 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुपूरक मांग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0-130.00 लाख (रूपये एक करोड. तीस लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित मानक मदों में संलग्न विवरणानुसार अधोलिखित प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय इस शर्त के साथ सहर्ष प्रदान करते हैं कि चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 की जिला योजनान्तर्गत उक्त योजना हेतु आवंटित जनपदवार परिव्यय की सीमा के अधीन रहते हुये धनराशि का आहरण किया जायेगा :-

मानक मद	धनराशि हजार रूपये में
15-गाडि.यों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2000.00
26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	1000.00
42-अन्य व्यय	1000.00
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	9000.00
योग-	13000.00

(रूपये एक करोड. तीस लाख मात्र)

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण/व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दि0-22.07.2014 में अंकित निर्देशों तथा शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दि0 06.06.1994 द्वारा निर्गत आदेशों का कडाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग जिला योजना के अनुसार उसी मद अथवा प्रयोजन के लिये किया जाए, जिसके लिए स्वीकृति दी जा रही है। इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता होगा, जिसका उत्तरदायित्व निदेशक, पशुपालन विभाग/सम्बन्धित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी का होगा।

4- स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त स्वीकृति ही अकेले ऐसे किसी व्यय को करने का प्राधिकार नहीं देता है जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल/वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों अथवा अन्य स्थायी आदेश के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसे व्यय करने से पूर्व शासन को पूर्ण औचित्य सहित प्रस्ताव भेजकर स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5- योजनान्तर्गत वस्तुओं आदि का क्रय उ0प्र0 भण्डार क्रय नियमावली तथा शासन द्वारा निर्धारित विभागीय क्रय नियमावली का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

6- शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत मितव्ययता संबंधी शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी.ए.-1191/दस-2009-मित.-1/2007, दि0-26.10.09 का विशेष रूप से पालन किया जाये।

7- शासनादेश में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में तैनात/कार्यरत वित्त नियँत्रक/वरिष्ठ/मुख्य लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित शर्तों में विचलन की दशा में वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि वह मामले की पूर्ण विवरण सहित सूचना तुरन्त वित्त विभाग को उपलब्ध कराये।

8- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अनुदान संख्या-15 के अधीन लेखाशीर्षक-"2403-पशुपालन-आयोजनागत-102-पशु तथा भैंस विकास-07-गायों/भैंसों में कृत्रिम एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधायें उपलब्ध कराने की योजना (जिला योजना)" की सुसंगत इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22.07.2014 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह)
विशेष सचिव।

पृ0सं0-3/2015/342(1)/सैंतीस-2-2015- तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक,पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक/ संयुक्त निदेशक (नियोजन), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5. संबंधित कोषाधिकारी/जिलाधिकारी ।
6. उप निदेशक,संबंधित मण्डल,पशुपालन विभाग।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु0-2/नियोजन अनु0-3 ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रणविजय सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-3/2015/342/सैंतीस-2-2015-1(22)/07टीसी, दिनांक-26 फरवरी, 2015 का संलग्नक

गाय/भैसों में कृत्रिम गर्भाधान एवं प्राकृतिक गर्भाधान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार एवं विस्तार तथा बैफ के माध्यम से प्रजनन की सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना(जिला योजना)(2014-15)सामान्य(धनराशि हजार में)

क0सं0	जनपद का नाम	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	मेरठ	40.00	14.00	14.00	200.00	**268.00**
2	बागपत	10.00	0.00	0.00	98.00	**108.00**
3	गाजियाबाद	30.00	14.00	14.00	100.00	**158.00**
4	गौतमबुद्ध नगर	40.00	14.00	14.00	200.00	**268.00**
5	बुलन्दशहर	20.00	14.00	13.00	100.00	**147.00**
6	हापुड़	20.00	14.00	13.00	100.00	**147.00**
7	सहारनपुर	40.00	14.00	14.00	200.00	**268.00**
8	मुजफ्फरनगर	40.00	14.00	14.00	200.00	**268.00**
9	शामली	20.00	14.00	14.00	100.00	**148.00**
10	मुरादाबाद	20.00	14.00	14.00	130.00	**178.00**
11	अमरोहा	20.00	14.00	14.00	105.00	**153.00**
12	रामपुर	20.00	14.00	14.00	100.00	**148.00**
13	बिजनौर	30.00	14.00	14.00	100.00	**158.00**
14	सम्भल	20.00	14.00	14.00	100.00	**148.00**
15	बरेली	20.00	14.00	14.00	100.00	**148.00**
16	बदायूं	20.00	14.00	14.00	100.00	**148.00**
17	शाहजहांपुर	20.00	14.00	14.00	100.00	**148.00**
18	पीलीभीत	20.00	14.00	14.00	100.00	**148.00**
19	फैजाबाद	30.00	14.00	14.00	130.00	**188.00**
20	अम्बेडकरनगर	30.00	14.00	14.00	100.00	**158.00**
21	सुल्तानपुर	20.00	14.00	13.00	100.00	**147.00**
22	बाराबंकी	30.00	14.00	14.00	100.00	**158.00**
23	अमेठी	30.00	14.00	14.00	100.00	**158.00**
24	गोण्डा	20.00	14.00	13.00	100.00	**147.00**
25	बलरामपुर	30.00	14.00	14.00	100.00	**158.00**
26	बहराईच	20.00	14.00	13.00	100.00	**147.00**
27	श्रावस्ती	20.00	14.00	13.00	120.00	**167.00**
28	बस्ती	20.00	14.00	13.00	100.00	**147.00**
29	संतकबीर नगर	20.00	14.00	13.00	100.00	**147.00**
30	सिद्वार्थनगर	20.00	14.00	13.00	100.00	**147.00**
31	गोरखपुर	30.00	14.00	14.00	100.00	**158.00**
32	महराजगंज	40.00	14.00	14.00	150.00	**218.00**
33	देवरिया	20.00	14.00	13.00	130.00	**177.00**
34	कुशीनगर	20.00	14.00	13.00	155.00	**202.00**
35	इलाहाबाद	46.00	14.00	14.00	200.00	**274.00**
36	कौशाम्बी	20.00	27.00	27.00	125.00	**199.00**
37	फतेहपुर	50.00	14.00	13.00	100.00	**177.00**
38	प्रतापगढ	46.00	14.00	13.00	150.00	**223.00**
39	झांसी	30.00	13.00	13.00	80.00	**136.00**
40	ललितपुर	30.00	13.00	13.00	80.00	**136.00**
41	जालौन	30.00	13.00	13.00	80.00	**136.00**

क0सं0	जनपद का नाम	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	42-अन्य व्यय	43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	योग
1	2	3	4	5	6	7
42	बांदा	20.00	13.00	13.00	80.00	**126.00**
43	चित्रकूट	20.00	13.00	13.00	80.00	**126.00**
44	हमीरपुर	20.00	26.00	27.00	100.00	**173.00**
45	महोबा	0.00	13.00	13.00	80.00	**106.00**
46	लखनऊ	20.00	13.00	13.00	100.00	**146.00**
47	उन्नाव	30.00	13.00	13.00	100.00	**156.00**
48	रायबरेली	30.00	13.00	13.00	140.00	**196.00**
49	हरदोई	20.00	13.00	13.00	190.00	**236.00**
50	सीतापुर	20.00	13.00	13.00	100.00	**146.00**
51	खीरी	20.00	13.00	13.00	100.00	**146.00**
52	आजमगढ़	40.00	13.00	13.00	140.00	**206.00**
53	मऊ	30.00	13.00	13.00	100.00	**156.00**
54	बलिया	30.00	13.00	13.00	130.00	**186.00**
55	वाराणसी	30.00	13.00	13.00	100.00	**156.00**
56	जौनपुर	50.00	13.00	13.00	180.00	**256.00**
57	गाजीपुर	30.00	13.00	14.00	150.00	**207.00**
58	चन्दौली	30.00	13.00	14.00	150.00	**207.00**
59	मिर्जापुर	20.00	13.00	13.00	80.00	**126.00**
60	सोनभद्र	30.00	14.00	13.00	72.00	**129.00**
61	संतरविदास नगर	20.00	13.00	13.00	80.00	**126.00**
62	कानपुर नगर	50.00	13.00	14.00	190.00	**267.00**
63	कानपुर देहात	20.00	13.00	13.00	100.00	**146.00**
64	फर्रूखाबाद	28.00	0.00	0.00	85.00	**113.00**
65	इटावा	30.00	13.00	14.00	100.00	**157.00**
66	कन्नौज	30.00	13.00	14.00	180.00	**237.00**
67	औरैया	30.00	13.00	14.00	180.00	**237.00**
68	आगरा	40.00	13.00	14.00	250.00	**317.00**
69	मथुरा	30.00	13.00	14.00	150.00	**207.00**
70	मैनपुरी	20.00	13.00	14.00	100.00	**147.00**
71	फिरोजाबाद	30.00	13.00	14.00	150.00	**207.00**
72	कासगंज	20.00	13.00	14.00	100.00	**147.00**
73	एटा	20.00	13.00	14.00	100.00	**147.00**
74	अलीगढ़	30.00	13.00	14.00	150.00	**207.00**
75	हाथरस	10.00	0.00	0.00	80.00	**90.00**
योग-		**2000.00**	**1000.00**	**1000.00**	**9000.00**	**13000.00**

(रूपये एक करोड़ तीस लाख मात्र)

(रणविजय सिंह)
उप सचिव।